

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय- हरसिद्धि

जिला- पूर्वी चम्पारण।

ज्ञाप संख्या 495 /

दिनांक 3.09.14 /

चयन पत्र

1. श्रीमती गीता देवी पति श्री बलराम प्रसाद जो ग्राम डोकुरिया पोस्ट सिसवा बाजार की स्थायी निवासी है, का आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला /मुहल्ला धीउवादार वडि के मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र धीउवादार (कोड सहित) 173 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 30.08.2014 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई. सी. डी. एस. निदेशाल द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011, संशोधित कंडिका एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ / प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक समाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु समाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

बाल विकास परियोजना कार्यालय
नाम एवं पता (आपके साथ)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय- हरसिद्धि

जिला- पूर्वी चम्पारण।

ज्ञाप संख्या 512 /

दिनांक 6.09.14 /

चयन पत्र

1. श्रीमती रूपा देवी पति श्री रामबाबू पासवान जो ग्राम वीनटोला-चडरहिया पोस्ट चडरहिया की स्थायी निवासी है, का आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला /मुहल्ला वीनटोला के मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र चडरहिया (कोड सहित) 174 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 30.08.2014 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई. सी. डी. एस. निदेशाल द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011, संशोधित कंडिका एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ / प्रमाण पत्र गलत पाये जाते है या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक समाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु समाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

3
06/9/14
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (महर के साथ)
हरसिद्धि, पूर्वी चम्पारण

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय- हरसिद्धि

जिला- पूर्वी चम्पारण।

ज्ञाप संख्या 521 /

दिनांक 15.09.14 /

चयन पत्र

1. श्रीमती तारा देवी पति श्री द्विवेदा कुं सखनी जो ग्राम त्रोगिया पोस्ट पानापुर की स्थायी निवासी है, का ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला /मुहल्ला वडि 10-10 के मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र पानापुर ईजीता (कोड सहित) 181 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 02.09.2014 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई. सी. डी. एस. निदेशाल द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011, संशोधित कंडिका एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ / प्रमाण पत्र गलत पाये जाते है या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी ऑगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुर्नचयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक समाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु समाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

304
15/9/14
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं कक्षाधन (सहस्र के साथ)
हरसिद्धि, पूर्वी चम्पारण

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)
(सेविका/सहायिका चयन संबंधि मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय- हरसिद्धि

जिला- पूर्वी चम्पारण।

ज्ञाप संख्या 517 /

दिनांक 12.09.14 /

चयन पत्र

1. श्रीमती रुह्या देवी पति श्री क्लेश कुमार जो ग्राम सोनबरसा
पोस्ट सोनबरसा की स्थायी निवासी है, का ऑगनबाड़ी
सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला /मुहल्ला वार्ड -5
केन्द्र सोनबरसा (कोड सहित) 182 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 02.09.2014
को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता
है।
2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के
आई. सी. डी. एस. निदेशाल द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011, संशोधित कंडिका एवं
आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर
भविष्य में उक्त सूचनाएँ / प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का
संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त
किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी ऑगनबाड़ी केन्द्र
पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा
ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही
किया जा रहा है।
4. यह एक समाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु समाजिक
कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं
केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

3
12/9/14
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (सहरी के साथ)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय- हरसिद्धि

जिला- पूर्वी चम्पारण।

ज्ञाप संख्या 522 /

दिनांक 15.09.14 /

चयन पत्र

1. श्रीमती अबला कुमारी पति श्री पुलक राम जो ग्राम रामनगर पोस्ट अपापाकड की स्थायी निवासी है, का ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला /मुहल्ला जारापाकड पर्सिया के मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र अपापाकड (कोड सहित) 185 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 03.09.2014 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई. सी. डी. एस. निदेशाल द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011, संशोधित कंडिका एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ / प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी ऑगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक समाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु समाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

3
15/9/14
बाल विकास परियोजना सहायिका का
नाम एवं पता (पत्र के साथ)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)
(सेविका/सहायिका चयन संबंधि मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय- हरसिद्धि

जिला- पूर्वी चम्पारण।

ज्ञाप संख्या 537 /

दिनांक 26.09.14 /

चयन पत्र

1. श्रीमती वीणा कुमारी पति श्री दिलीप कुमार जो ग्राम रानीद्वारा पोस्ट सच्छरणावा की स्थायी निवासी है, का आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला /मुहल्ला वाडि.10-05 के मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र रानीद्वारा (कोड सहित) 179 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 04.09.2014 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई. सी. डी. एस. निदेशाल द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011, संशोधित कंडिका एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ / प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
4. यह एक समाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु समाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

37
26/9/14
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय- हरसिद्धि

जिला- पूर्वी चम्पारण।

ज्ञाप संख्या 538 /

दिनांक 26.09.14 /

चयन पत्र

1. श्रीमती शीतिकुमारी पासवान पति श्री श्रीप. कुमार पासवान जो ग्राम चैनपुर
पोस्ट कतइइवा की स्थायी निवासी है, का ऑगनबाड़ी
सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला /मुहल्ला वाडि. 10-07 के मिनी ऑगनबाड़ी
केन्द्र चैनपुर (कोड़ सहित) 184 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 08.09.2014
को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता
है।
2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के
आई. सी. डी. एस. निदेशाल द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011, संशोधित कंडिका एवं
आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर
भविष्य में उक्त सूचनाएँ / प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का
संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त
किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी ऑगनबाड़ी केन्द्र
पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा
ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही
किया जा रहा है।
4. यह एक समाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु समाजिक
कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं
केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

3
26/9/14
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (संहर के साथ)
हरसिद्धि, पूर्वी चम्पारण

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)
(सेविका/सहायिका चयन संबंधि मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय- हरसिद्धि

जिला- पूर्वी चम्पारण।

ज्ञाप संख्या 543 /

दिनांक 27.09.14 /

चयन पत्र

1. श्रीमती अरुणा कुमारी पति श्री शोष कुमार जो ग्राम अहिरगाँवा
पोस्ट मेहता टोला की स्थायी निवासी है, का आँगनबाड़ी
सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला /मुहल्ला वार्ड नं- 03 के मिनी आँगनबाड़ी
केन्द्र अहिरगाँवा (कोड़ सहित) 178 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 09.09.2014
को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता
है।
2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के
आई. सी. डी. एस. निदेशाल द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011, संशोधित कंडिका एवं
आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर
भविष्य में उक्त सूचनाएँ / प्रमाण पत्र गलत पाये जाते है या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का
संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नही किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त
किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आँगनबाड़ी केन्द्र
पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नही होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा
ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुर्नचयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही
किया जा रहा है।
4. यह एक समाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु समाजिक
कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं
केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नही होगा।

304
27/9/14
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं कक्षा (गहर के साथ)
हरसिद्धि, पूर्वी चम्पारण